

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ  
करण आदि बनाम राजेश आदि

प्रकरण संख्या 301 / 2024

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
11.12.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि गैरसायल स0 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 46/45 की कुल 3.6270 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त चालु/मंजूरशुदा/कटानी रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 27.01.2025 को पेश हो।</p>	
27/1/25	<p>वकील सायल उपस्थित गैरसायल व रजिस्टर सम्मन पेश गैरसायल उपस्थित पत्रावली इन्वण्टरी। कार्यवाही हेतु दिनांक 30/1/25 को पेश हो।</p>	
30/1/25	<p>वकील सायल उपस्थित गैरसायल उपस्थित पत्रावली इन्वण्टरी। कार्यवाही हेतु दिनांक 4/8/25 को पेश हो।</p>	
4/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी। वकील उपस्थित नहीं हुए वकील वादी। वादी व वाद वाद आपाजब लागू गइ बिन्दु वादी या वादी का ट्पीडर नहीं वाद वादी असम परवी असम हाजरी में खारिज बिना पाना की पत्रावली दाखल दफ्तर को।</p>	

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

